कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष, उज्जैन (म0प्र0)

// परिपत्र //

क्रमांक–　　　/उप0 पंजी/2023　　　　　　　　　　दिनांक....../07/2023

माननीय रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2023/638 दिनांक 09.05.23 अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीपति के आदेशानुसार जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 01.06.23 से FRS मशीन में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रायः देखने में आ रहा है कि अधिकांश तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण अपने कर्तव्य पर विलंब से उपस्थित हो रहे है। FRS मशीन का सर्वर सीधे माननीय उच्च न्यायालय से कनेक्ट होने से विलंब से उपस्थित कर्मचारीगण के संबंध में मशीन द्वारा रिपोर्ट प्रदत्त की जा रही है।

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र0 172/315/1(3)/75 भोपाल दि0 27.02.1975 में कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है तथा ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते है तथा माह में लगातार 03 बार या उससे अधिक अवधि तक विलंब से उपस्थित होते है तो ऐसे कर्मचारियों का 01 दिवस का आकस्म्कि अवकाश काटे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर FRS मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें तथा FRS मशीन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार माह में 03 दिन बार या उससे अधिक अवधि तक विलंब से कर्तव्य पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों का 01 दिवस आकस्मिक अवकाश काटा जावेगा।

उक्त आदेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न–म.प्र.शासन परिपत्र।

(आर0 के0 वाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला–उज्जैन।